FORM NO.III

फार्म अहकाम

(नियम 20)

2020/00420

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 103/2019-2020

प्रार्थी .... अप्रार्थी

सरकार जरिये तहसीलदार लूनी बनाम अंशधारी वगैरा

किस्म मुकदमा– अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/12/2020	तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भू.अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमाबन्दी मे मौजूदा खसरो को राजस्व नक्शो मे दर्ज खसरो से वन–टू–वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो मे रेकर्ड, मौका व नक्शे मे भिन्नता आ रही हैं यथा किसी सरकारी खसरे मे से कई खातेदारो को पूर्व मे गे.मु.बाडा एवं अन्य किस्म के छोटे–छोटे रकबे के खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरण पूरत कर नजरी नक्शा आवटन व आवटंन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नही हैं। अतः ऐसे खसरे को मूल खसरे में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी सालावास [illegible] सालावास मय अनुशंषा भू.अ निरीक्षक लूनी ....x....... एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुयें, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रेकर्ड में एकीकरण कर रेकर्ड दुरुस्ती करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दपतर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)	

Scanned by CamScanner